राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(14)ग्रावि/नरेगा/वेजेज/2010/पार्ट–III

जयपुर, दिनांक : 24 FEB 2011

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मजदूरी भुगतान में विलम्ब के लिए मुआवजा राशि देने के कम में।**

संदर्भः– **कार्यालय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 01.12.2010**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत भुगतान में विलम्ब होने पर मुआवजा राशि दिये जाने की प्रकिया के विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे। इस संबन्ध में श्रम आयुक्त, राजस्थान जयपुर से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर लेख है कि श्रम आयुक्त द्वारा दी गयी विधिक स्थिति के अनुसार कार्यवाही सम्पादित किये जाने का श्रम करें।

भवदीय

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपिः

1. अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक, ईजीएस जयपुर एवं जोधपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त द्वितीय, ईजीएस

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांक: एफ 13§48§श्रम/वि0/2010/ 2191 जयपुर, दिनांक: 10-2-11

प्रमुख शासन सचिव,
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
§अनुभाग-3§ राजस्थान, जयपुर ।

विषय:- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मजदूरी भुगतान में विलम्ब के लिय मुआवजा राशि देने के क्रम में ।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक एफ 1§14§आर डी/नरेगा/वेजेज/2010/पार्ट III दिनांक 9.12.2010

-0-

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में पुनः विधिक स्थिति स्पष्ट की जाती है कि वेतन भुगतान अधिनियम की धारा- 3 के अन्तर्गत मजदूरी का भुगतान करने का दायित्व नियोजक का अथवा नियोजक द्वारा भुगतान हेतु नियुक्त या नामित किये गये व्यक्ति का है । मजदूरी के भुगतान में विलम्ब के मामलों में प्राधिकारी द्वारा मुआवजा राशि के भुगतान का दायित्व भी नियोजक अथवा नियमानुसार वेतन भुगतान करने के लिए दायित्वधीन व्यक्ति के संबंध में ही दिया जा सकता है । किसी अन्य व्यक्ति या अधिकारी को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है । तथापि यदि नियोजक यह समझता है कि मजदूरी के भुगतान में विलम्ब किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी विशेष की लापरवाही से हुई है तो वह मुआवजा राशि की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से नियमानुसार आवश्यक जांच पश्चात् वसूल कर सकता है ।

भवदीय,

श्रम आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर ।